कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10

सं. 55018/हिं.क./ रा.भा./हि.शि.यो./मु.का./जि.7 **दिनांक :०१दिसम्बर, 2015**

सेवा में

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/
रक्षा लेखा नियंत्रक

विषय : 1. वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हिंदी पत्राचार करना
2. आशुलिपिकों/टंककों द्वारा प्रशिक्षण कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेना।

***

उपर्युक्त विषयों पर रक्षा मंत्रालय(वित्त) के दिनांक 19 नवम्बर, 20115 के पत्र सं. ई-12-12/2/2013-हिंदी के अंतर्गत प्राप्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा भेजे गये दिनांक 08.10.2015 के अ.शा. पत्र सं. 12019/82/2015-रा.भा.(का-2)-पार्ट-1 तथा दिनांक 26.10.2015 के अ.शा.पत्र सं.14034/302015-रा.भा.(प्रशि.) की प्रतियां सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं यथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु रक्षा लेखा महानियंत्रक की वैबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

अनुरोध है कि उक्त अर्धशासकीय पत्रों में दिए गए दिशा/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(लेप.) महोदय के अनुमोदन से जारी।

(दिलीप कुमार)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि सेवा में

1. सहायक निदेशक(राजभाषा)
   रक्षा मंत्रालय(वित्त प्रभाग)
   सेना भवन, नई दिल्ली - सूचनार्थ।
2. ई.डी.पी कक्ष (स्थानीय) - वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

-ह-

(दिलीप कुमार)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

फाइल संख्या ई-12012/2/2013-हिंदी
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय(वित्त)
(हिंदी अनुभाग)

कमरा संख्या 130-बी-विंग,
सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 19 नवंबर, 2015

सेवा में,

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक ,
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार मार्ग, पालम,
दिल्ली छावनी-110010

विषय : राजभाषा विभाग से प्राप्त अ. शा. पत्र सं0 12019/82/2015-रा0भा0 (का-2)-पार्ट-1 तथा अ. शा. पत्र सं0 14034/30/2015-रा0भा0 (प्रशि.) ।

महोदय,

राजकीय कार्य हिंदी में करने तथा प्रशिक्षण के लिए नामित हिंदी आशुलिपिक/टंककों की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा भेजा गया पत्र संलग्न है ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्रों की अपेक्षा के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की कृपा करें ।

भवदीय

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सहायक निदेशक (रा0भा0)
दूरभाष : 23013395

Krishna Job 11

आवंटन क्रमांक :- 67

गिरीश शंकर, आई.ए.एस.
सचिव

Girish Shankar, IAS
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001
www.rajbhasha.gov.in

अ0शा0 पत्र सं0 12019/82/2015-रा.भा.(का-2)-पार्ट-। **दिनांक: 08 अक्तूबर, 2015**

प्रिय श्रीमती श्रीवास्तव,

मैं आपका ध्यान राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में प्रगति हुई है, लेकिन अब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है । अभी भी अधिकांश काम अंग्रेजी में ही हो रहा है । संविधान की मूल भावना एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार यह अपेक्षित है कि सरकारी कामकाज अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी में हो ।

2. 'क' क्षेत्र से मूल पत्राचार 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्र को हिंदी में करने का लक्ष्य क्रमश: 100%, 90% व 55% है । इस अनुसार 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को भेजे जाने वाला संपूर्ण पत्राचार हिंदी / द्विभाषी होना चाहिए। लेकिन पाया जा रहा है कि सामान्य पत्रों के साथ-साथ **वरिष्ठ अधिकारियों से भी अधिकांश अ0शा0 पत्र अंग्रेजी में ही प्राप्त होते हैं** । अनुरोध है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले सभी मूल पत्र हिंदी में भेजे जाएं । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में पत्र भेजना अधीनस्थ अधिकारियों के लिए उदाहरण होगा और उन्हें हिंदी में सरकारी कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी ।

3. मुझे आशा है कि आपके स्तर पर व्यक्तिगत रूप में किए जाने वाले प्रयासों से राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए उचित वातावरण बनेगा ।

शुभकामनाओं के साथ,

शुभेच्छु,

(गिरीश शंकर)

सुश्री वंदना श्रीवास्तव,
सचिव,
रक्षा वित्त विभाग,
कमरा सं0 139, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली 110011

आवती क्रमांक:-70

अ.शा.पत्र संख्या 14034/30/2015-राभा(प्रशि)

गिरीश शंकर, आई.ए.एस.
सचिव
Girish Shankar, IAS
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001
www.rajbhasha.gov.in

दिनाक 26 अक्तूबर 2015

प्रिय श्रीमती श्रीवास्तव,

जैसा कि आप जानते हैं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अंतर्गत "केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों, निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों/आशु-टंककों को हिंदी आशुलिपि का तथा अंग्रेजी टंककों/लिपिकों/कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/डाक सहायकों/कार्यालय सहायकों/दूरसंचार सहायकों/ कर सहायकों तथा इसी प्रकृति का कार्य करने वाले भिन्न पदनाम वाले कर्मचारियों को हिंदी टाइपराइटिंग/हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । यह प्रशिक्षण कार्यालय समय में ही प्रदान किया जाता है।

प्राय: यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों, निकायों द्वारा अपने कार्यालय में कार्यरत अंग्रेजी आशुलिपिकों/आशु-टंककों, निजी सहायकों, निजी सचिवों, प्रधान निजी सचिवों की हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता बरती जाती है और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामांकित नहीं किया जाता है । यदि नामांकित कर भी दिया जाता है तो प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रवेश हेतु कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है । ये कर्मचारी प्राय: वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैनात होते हैं और कार्य की अधिकता के कारण संबंधित अधिकारी इन्हें प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त करने में असमर्थता जताते हैं । यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालयों/विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों के पास वरिष्ठ निजी सचिवों के साथ-साथ निजी सहायक, निजी सचिव भी तैनात रहते हैं और इस संवैधानिक महत्व के कार्य के लिए उच्चाधिकारी प्रशिक्षण की 1-2 घंटे की अवधि के लिए किसी एक कर्मचारी को कार्यमुक्त कर सकते हैं । तथापि, अधिक कार्य की स्थिति यदा-कदा ही हो सकती है, जिसका प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी आपसी समझ से समाधान कर सकते हैं, किंतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त ही न किया जाए, यह स्थिति ठीक प्रतीत नहीं होती है।

"राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान/कार्यालय प्रमुख पर होगी।"

अत: आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने मंत्रालय/विभाग और अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों, निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों/आशु-टंककों, निजी सहायकों, निजी सचिवों एवं प्रधान निजी सचिवों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए न केवल नामित करना सुनिश्चित करवाएँ, बल्कि यह भी सुनिश्चित करवाएँ कि नामित कर्मचारी प्रशिक्षण कक्षा में प्रवेश लें और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा में भी अनिवार्य रूप से बैठें जिससे भारत सरकार द्वारा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए संसाधनों का समुचित उपयोग हो। आशा है इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग अवश्य प्राप्त होगा।

शुभकामनाओं के साथ,

शुभेच्छु

(गिरीश शंकर)

प्रस्तुत करें
स०नि०(रा.भा)

17/11

सुश्री वंदना श्रीवास्तव,
सचिव,
रक्षा वित्त विभाग, कमरा सं0 139, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली 110011

593/हिंदी/15
17/11/2015

596
17-11-15

5460